(12)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट, रीवा (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. : R-2479-III/14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs 20/-

श्रीमती रानी निगम पति श्री बृजेश कुमार निगम, निवासी ग्राम खैरा, थाना चोरहटा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.) हाल निवासी मड़फा मंदिर के पास रानी तालाब रीवा, थाना सिटी कोतवाली रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

...सन्तोष श्रीवास्तव ...एड ...रा आज दिनांक 02-07-14 को ...स्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. बृजेश कुमार निगम, तनय श्री राम प्रताप निगम, आयु 55 वर्ष, निवासी मड़फा मंदिर के पास रानी तालाब रीवा, तह. हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)
2. दिनेश कुमार निगम पिता रामप्रताप निगम, निवासी पाण्डेन टोला रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)
3. रमेश कुमार निगम पिता रामप्रताप निगम, निवासी डूपलेक्स बंगला नंबर 4, के.पी. परिसर, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.)
4. योगेश कुमार निगम पिता रामप्रताप निगम, निवासी पी.टी.एस. चौराहा, यूनयिन बैंक के पीछे चाणक्य नगर सोंधिया ब्रेड फैक्ट्री के पास रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)
5. सुशीला निगम पति स्व. डॉ. सुरेश कुमार निगम,
6. वीरेन्द्र कुमार निगम, पिता स्व. डॉ. सुरेश कुमार निगम,
7. मनोज कुमार निगम पिता स्व. डॉ. सुरेश कुमार निगम,
   अनावेदक क्रमांक 5 ता 7 निवासी पाण्डेन टोला रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)
8. श्रीमती मंजू निगम पत्नी स्व. संजय निगम,
9. सोयम निगम, पुत्री स्व. संजय निगम,
10. जेवर निगम, पुत्री स्व. संजय निगम,
    क्र. 8 ता 10 निवासी द्वारिक नगर रीवा, तह. हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

5-8-14

रानी निगम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2479–तीन / 2014 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2014	आवेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डे अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक कं 1 केवीयेटकर्ता की ओर से श्री अरूण द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ अनावेदक केवीयेटकर्ता अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। अपर कलेक्टर के अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्र0कं 2478–तीन / 14 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है जिसके कारण यह निगरानी औचित्यहीन हो गई है, अतः इसे निरस्त किया जाये। 3/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 67 / अ–6 / 2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय में आवेदक द्वारा एक अन्य प्रकरण कमांक निगरानी 2478–तीन / 14 भी प्रस्तुत की गई है जो अपर कलेक्टर के अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः यह निगरानी औचित्यहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	

10. जेवर निगम, पुत्रा स्व. संजय निगम,

क्र. 8 ता 10 निवासी द्वारिक नगर रीवा, तह. हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

रानी निगम